संख्या–1078 / V–2 / 21–05(आ०) / 2017 टी.सी.

प्रेषक,

सुरेन्द्र नारायण पाण्डे,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. मुख्य प्रशासक,
उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।

2. उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,
देहरादून / हरिद्वार।

3. उपाध्यक्ष,
समस्त जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।

4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
देहरादून।

आवास अनुभाग–2

देहरादून, दिनांक 15 जून, 2021

विषयः वर्ष, 2016 से पूर्व के प्राधिकरणों एवं विनियमित क्षेत्रों को छोड़कर नये सम्मिलित क्षेत्रों में मानचित्र स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि आवास विभाग के शासनादेश संख्या–626 / V-2 / 21–05(आ०) / 2017 टी.सी. दिनांक 17.03.2021 के द्वारा वर्ष 2016 से पूर्व के प्राधिकरणों एवं विनियमित क्षेत्रों को छोड़कर नये सम्मिलित क्षेत्रों में मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया को अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया गया है।

2– उक्त के संबंध में सम्यक विचारोपरांत लिए गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2016 से पूर्व के प्राधिकरणों एवं विनियमित क्षेत्रों को छोड़कर नये सम्मिलित क्षेत्रों में यदि कोई आवेदक स्वेच्छा से मानचित्र स्वीकृत कराना चाहता है तो सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी।

3– कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुरेन्द्र नारायण पाण्डे)
सचिव (प्रभारी)

संख्या– /V–2 / 21–05(आ०) / 2017 टी.सी. तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अर्पण कुमार राजू)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण
पत्र क्रमांक सं0 249
दि0 17.06.21
देहरादून

letter.21